राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 898/2011/जयपुर

मैसर्स बी.एस.सी. – सी एण्ड सी ज्वाइन्टस वेंचर,
चंदवाजी के पास, जयपुर।
.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कांट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, संभाग द्वितीय,जंयपुर।
.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पंकज घीया, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री रामकरण सिंह, ...प्रत्यर्थी की ओर से.
उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 20.03.2017

निर्णय

1. यह अपील अपलार्थी द्वारा विद्वान उपायुक्त (अपील्स)द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2005–06 के कर निर्धारण आदेश, जोकि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कांट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, संभाग द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 30, 65, 61, 68, 58 एवं 64 के अन्तर्गत पारित किये गये हैं, में निम्न तालिकानुसार ब्याज एवं शास्ति राशि को यथावत रखा गया है।

अपील संख्या	अ.अधि. की अपी. सं.	ब्याज	शास्ति
898/2011	37/अपील्स–II/आएसटी	2,61,927	14,58,562

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि का वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र एसटी 5ए दिनांक 31.08.2007 को शून्य व्यापारवर्त का पेश किया गया, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वतः कर निर्धारण योजना के तहत दि 29.09.2007 को कर निर्धारण आदेश शून्य का पारित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में संविदा कार्य का निष्पादन किया गया है तथा अधिनियम की धारा 30 के तहत नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त व्यवहारी ने अपने जवाब के साथ एसटी 5ए प्रस्तुत कर संविदा कार्य द्वारा रूपये 4,85,05,052/– की प्राप्ति होना बतलाया, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने 1.5 प्रतिशत की दर से ईसी फीस रूपये 7,27,576/– आरोपित की एवं ईसी फीस विलम्ब से जमा करवाये जाने के आधार पर धारा 58 के तहत ब्याज रूपये 2,61,927/–, धारा 65 के तहत शास्ति रूपये 14,55,152/– तथा धारा 61ए के तहत शास्ति रूपये 3,410/– आरोपित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई एवं ईसी राशि जमा करवाई गई। अपीलीय अधिकारी ने आरोपित ब्याज एवं शास्ति राशियों को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

.....2.

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बतलाया। साथ ही निवेदन किया कि उनके द्वारा समस्त संव्यवहारों का इन्द्राज लेखा पुस्तकों में दर्ज कर रखा है एवं किसी भी प्रकार के करापवंचन की उनकी मंशा नहीं थी तथा उनके द्वारा ब्याज राशि को विभाग में जमा करवा दिया गया है। वर्तमान में केवल शास्ति के बिन्दु पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। अतः विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी पर आरोपित शास्ति को अनुचित बतलाते हुए **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम सरकार 23 वीएसटी 249** के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी के आदेश को अनुचित बतलाते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एंव अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकारते हुए शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को बहाल करने का निवेदन किया।

7. हमने दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया व अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस का एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया।

8. शास्ति के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **(2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158** का संक्षित उल्लेख निम्नानुसार है:–

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

9. उक्त प्रकरण की स्थिति, परिस्थति व तथ्य माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी की अपील शास्ति के बिन्दु पर स्वीकार की जाती है तथा शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

20.3.2017

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष